

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक / मंडी / प्रांगण / विविध / 912
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15/10/14

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
.....(समस्त)

विषय :- मंडी समितियों की भूमियों एवं भवनों को अतिक्रमण मुक्त कराकर समितियों के कब्जे में लेने बाबत।

-000-

प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों की बेशकीमती भूमियां एवं भवन अप्राधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में होने की जानकारी बोर्ड को हुई है। समय-समय पर उप संचालकों की मासिक बैठकों एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मंडी सचिवों को उपरोक्त भूमियां जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से समन्वय कर तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराकर मंडी समितियों के कब्जे में लेने के निर्देश प्रसारित किये गये। म०प्र० कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, म०प्र० भूराजस्व संहिता 1959 तथा लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 में शासकीय, अशासकीय एवं निगम मंडलों की भूमि पर अप्राधिकृत कब्जेधारकों की बेदखली के विषय में विभिन्न प्रावधान अधिनियमित किये गये हैं। सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं।

(1) म०प्र० भूराजस्व संहिता 1959

म०प्र० भूराजस्व संहिता 1959 दिनांक 02.10.1959 से प्रदेश में प्रवृत्त हैं। उक्त अधिनियम की धारा 248 शासकीय भूमि पर तथा धारा 250 अशासकीय भूमि पर अप्राधिकृत कब्जेधारकों की बेदखली के संबंध में है। उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार को बेदखली हेतु सशक्त किया गया है। तहसीलदार/नायब तहसीलदार के द्वारा बेदखली आदेश पारित करने के पश्चात भी यदि अतिक्रमक भूमि पर काबिज रहता है तो उसे बलपूर्वक बेदखल किया जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी को तहसीलदार/नायब तहसीलदार के बेदखली के आदेश की अवज्ञा कर अप्राधिकृत कब्जा जारी रखने वाले अतिक्रमक को सिविल कारागार में भेजने हेतु उक्त प्रावधान सशक्त करते हैं।

(2) म०प्र० कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972

म०प्र० कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 22 मंडी सचिवों को मंडी प्रांगण में के किसी खुले स्थान में हुए किसी अतिक्रमण को हटाने की शक्ति है और ऐसे हटाये जाने के व्यय अतिक्रमणकर्ता द्वारा चुकाये जायेंगे। मंडी सचिव को उपरोक्त शक्तियां संशोधन अधिनियम क्रमांक 24/1986 राजपत्र असाधारण दिनांक 21.07.1986 (पृष्ठ 1135-1144) की धारा 14 द्वारा संशोधन प्रतिस्थापित किये जाने पर उपरोक्त अधिकारिता प्राप्त हुई। मंडी सचिव उपरोक्त अधिकारिता का उपयोग मंडी समिति के निर्देशों के अधीन करेगा। सचिव इस प्रावधान के अंतर्गत अतिक्रमण हटा सकता है और

अतिक्रमण हटाने में आया खर्चा धारा 61 के अधीन मंडी समिति को वसूली योग्य कोई राशि की वसूली की रीति से अर्थात् RRC वसूली की भांति वसूल किया जा सकेगा।

(3) मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974

मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियम मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली नियम 1975 के अंतर्गत लोक परिसरों में अनाधिकृत कब्जेधारी को बेदखल करने हेतु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी सभी जिलों में अधिसूचित है। जिला कलेक्टरों द्वारा सामान्यतया अनुविभागीय अधिकारियों/अनुविभागीय दण्डाधिकारियों अथवा जिले में पदस्थ अन्य डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/अपर कलेक्टर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

अधिनियम की धारा 2(ड) में लोक परिसर को परिभाषित किया गया है :-
"किसी ऐसे निगम (जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (सन् 1956 का क्रमांक-1) की धारा 3 में परिभाषित कम्पनी न हो) जो किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो और राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण से स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो, के हो या उस निगम द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिए हों।"

उपरोक्त परिभाषा के अंतर्गत मंडी समितियों के प्रांगण "लोक परिसर" की श्रेणी में आते हैं।

अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी प्रारूप 'क' में लोक परिसर का अप्राधिकृत अधिभोग कर रहे व्यक्ति को प्रस्तावित बेदखली आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने हेतु सूचना पत्र जारी कर धारा 5 में अप्राधिकृत अधिभोगी को बलपूर्वक बेदखली का प्रावधान है।

उक्त विधि में उपरोक्त विभिन्न प्रावधानों के प्रकाश में सभी मंडी सचिवों को निर्देशित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित जो प्रश्नाधीन भूमि/भवन पर मंडी समिति का स्वामित्व दर्शाते हो, आवेदन प्रस्तुत कर मंडी प्रांगण की भूमि/भवन पर हुये अनाधिकृत अतिक्रमण/कब्जे को हटवाने की अविलम्ब कार्यवाही कर मंडी समिति के अधिपत्य में लेने की कार्यवाही करें।

(अरुण पाण्डेय)

प्रबंध संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 / 10 / 14

पृ.क्रमांक/मंडी/प्रांगण/विविध/913
प्रतिलिपि :-

संयुक्त संचालक/उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय(समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रबंध संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल